

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-5/विविध 14-65/2014 ज०स०वि० ...../राँची, दिनांक-.....

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,  
जल संसाधन विभाग, राँची।

सेवा में,

प्रशासक,  
सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर।

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),  
जल संसाधन विभाग।

निदेशक,  
भू-गर्भ, जल निदेशालय, राँची।

वित्त पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर।

अवर सचिव (मुख्यालय),  
जल संसाधन विभाग।

उप समाहर्ता,  
राजस्व प्र०, राँची।

सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,  
जल संसाधन विभाग।

**विषय:-** राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना संबंधी आदेश HRMS के अन्तर्गत ऑनलाईन निर्गत करने के संबंध में।

**प्रसंग:-** झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का पत्रांक-692 दिनांक-24.01.2018

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। पत्र में दिये गये निर्देश के अनुसार सभी प्रकार के स्थापना संबंधी आदेश HRMS के अन्तर्गत निर्गत किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ सभी DDO/Establishment in charge को निदेशित किया जाय।

किसी प्रकार की समस्या आने पर नोडल पदाधिकारी के मेल nod.wrd-jhr@nic.in पर सम्पर्क किया जाय। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक-5/विविध 14-65/2014 ज०स०वि० 445/राँची, दिनांक-08-02-18

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग, राँची

184

पत्रांक-16/प्र०सू०-02-03/2014(खण्ड-II) का. - 692

झारखण्ड सरकार  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

निधि खरे,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/  
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/  
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 24.1.18

विषय :- राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना संबंधी आदेश HRMS के अन्तर्गत ऑनलाईन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के वैसे सभी कार्यालयों जिसके अन्तर्गत कार्यरत लगभग 90 प्रतिशत कर्मियों का HRMS के अन्तर्गत ई-सेवापुस्तक से संबंधित डाटा सत्यापन का कार्य सम्पन्न किया जा चुका हो, के संबंध में सभी प्रकार के स्थापना संबंधी आदेश HRMS के अन्तर्गत ऑनलाईन निर्गत किया जा सकता है।

तदनुसार अनुरोध है कि आपके अधीन वैसे सभी कार्यालय, जिनके अन्तर्गत कार्यरत 90 प्रतिशत कर्मियों के डाटा सत्यापन का कार्य सम्पन्न हो चुका हो, के नोडल पदाधिकारियों को यह निदेश देने की कृपा की जाय कि कर्मियों के स्थापना संबंधी सभी आदेश HRMS के अन्तर्गत ऑनलाईन निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही उल्लेखनीय है कि इस कार्य में होने वाली किसी प्रकार की कठिनाई के लिए कार्मिक विभाग, झारखण्ड, राँची अन्तर्गत कार्यरत PMU से दूरभाष सं०-0651-2400865 या टॉल फ्री नम्बर-18003456568 अथवा ई-मेल hrms.dopar@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विपवासभाजन,

(निधि खरे)  
सरकार के प्रधान सचिव

Ms. Rajani

To all CE/JS  
for necessary action -

03.02.18

जल सहायन विभाग  
(प्रधान सचिव/सचिव कोषांग)  
संख्या 257  
दिनांक 29.01.18